तत्काल/ समयबद्ध

संख्या–995/नौ–9–2017/84ज/17

प्रेषक,

अखिलानन्द ब्रह्मचारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।।

(2) प्रबंध निदेशक,
जल निगम,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 09 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2017

विषय– नये सरकारी भवनों का निर्माण इनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी)–2017 के मानको के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग के पत्र सं0– 7150/यूपीनेडा/ईसीबीसी (वर्कशाप) 2017–2018, दिनांक 03.10.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नये निर्माण हेतु प्रस्तावित ऐसे सरकारी भवनों, जिसमें विद्युत अधिभार 100 कि0वा0 या अधिक अथवा कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड 120 के0वी0ए या अधिक हो, का निर्माण कार्य ईसीबीसी 2017 के प्राविधानों एवं मानकों के अनुरूप करवाने हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–7150/यूपीनेडा/ईसीबीसी (वर्कशाप) 2017–2018, दिनांक 03.10.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार तत्काल कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0)।

27/10/17

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

Pal Gos